

प्रतिलिपि द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 1348C(क)

समाप्त - S.D.O खतौली

कादर - 04/10-08 - पत्र 143 का 120 रुक

कॉक - 26/11/08 केस 4700 खतौली लक्ष्मी चण्ड

दिक - 08/12-08 नगर

प्रतिपक्ष - 08/12-08 - उत्तर प्रदेश के 172 कादर

कॉक - 08-12-08 नगर के 08-12-08

न्यायालय उप जिलाधिकारी - खतौली मुजफ्फरनगर

वाट नं०-4/2008-09

धारा-143 ज० वि० अधिनियम

प्रतीप त्यागी

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य

मौजा-हुसैनपुर बोपाडा परगना खतौली

====

08-12-2008 आज पत्रावली नाथब तहसीलदार की आख्या सहित प्रस्तुत हुई।

बाद दर्ज किया गया। नाथब तहसीलदार मन्सूरपुर ने अपनी आख्या

दिनांक 05-12-2008 में बताया है कि ग्राम हुसैनपुर बोपाडा की फसली

1412 से 1417 फ० के खाता संख्या-686 के खसरा नं०-1800/1 रकबा

0.348 हे० पर प्रतीप त्यागी पुत्र रघुनाथ प्रसाद त्यागी नि० नावला का

संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। वर्तमान में भूमि खाली पड़ी है, जिसमें

कृषि नहीं हो रहा है। प्रार्थी ने इस सम्बन्ध में अपना शपथ-पत्र, जिसके

अनुसार व कृषि कार्य नहीं करेगा तथा उक्त भूमि को धारा 143 ज० वि०

अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित करने हेतु आख्या संस्तुति

सहित प्रेषित करते हुए साथ में नियम 135 के प्राप्ति पर रिपोर्ट मय

नक्शा नजरी सौलगा की गई है। नाथब तहसीलदार की आख्या एवं

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र व शपथ-पत्र से स्पष्ट है कि प्रसंगत भूमि

पर वादी का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है तथा वर्तमान में

कृषि कार्य नहीं हो रहा है अतः उक्त भूमि को धारा 143 ज० वि० अधि०

के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः उक्त विवेचना के आधार पर ग्राम हुसैनपुर बोपाडा परगना

खतौली के खाता संख्या-686 खसरा नम्बर 1800/1 रकबा 0.348 हे०

लगान 17.20 पैसे को धारा 143 ज० वि० अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक भूमि

घोषित किया जाता है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दायित्व उत्तर हो।

नरेन्द्र सिंह,
उप जिलाधिकारी,
खतौली

नकलकर्ता.....

तुलनाकर्ता.....

जांचकर्ता.....

शब्द.....

प्रा० पत्र का दिनांक.....

नोटिस का दिनांक.....

जांच का दिनांक.....

स्टाम्प.....

सत्य प्रतिलिपि

राजस्व अभिलेखपाल, राजस्व सुरक्षालय
कलेक्ट्रेट, मुजफ्फरनगर